



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20042021-226695
CG-DL-E-20042021-226695

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1544]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 19, 2021/चैत्र 29, 1943

No. 1544]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 19, 2021/CHAITRA 29, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2021

(आय-कर)

का.आ. 1661(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् “अधिनियम” कहा गया है) के खंड (23चड) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ख) के उपखंड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वयंभू धन निधि अर्थात्, नॉरफंड, नॉरवे सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् “निर्धारिती” कहा गया है) को, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके पश्चात् किंतु 31 मार्च, 2024 को या उससे पूर्व भारत में किए गए विनिधानों (जिसे इसमें इसके पश्चात् “उक्त निवेश” कहा गया है) के संबंध में, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए, विनिर्दिष्ट व्यक्ति के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :-

(i) निर्धारिती, उस तारीख से प्रारंभ होने वाली तारीख, जिसको उक्त विनिधान किए गए हैं, से उस तारीख, जिसको विनिधान परिसमाप्त किए गए हैं, में आने वाले सभी सुसंगत पूर्ववर्ती वर्षों के लिए अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने की विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पूर्व आय की विवरणी फाइल करेगा।

- (ii) निर्धारिती खंड (i) में निर्दिष्ट पूर्ववर्ती वर्षों के लिए अपनी लेखाबहियों की लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में विनिर्दिष्ट किसी लेखापाल से करवाएगा और इस अधिसूचना से उपाबद्ध उपाबंध में दिए गए प्ररूप में अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय-कर की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए विनिर्दिष्ट नियत तारीख से कम से कम एक मास पूर्व प्रस्तुत करेगा।
- (iii) निर्धारिती एक त्रैमासिक विवरण, प्रत्येक तिमाही के अंत से एक मास के भीतर, परिपत्र सं. 2020 का 15, तारीख 22 जुलाई, 2020 से उपाबद्ध प्ररूप 2, जिसे वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (कर नीति और विधान प्रभाग) द्वारा फा.सं. 370142/26/2020-टीपीएल द्वारा जारी किया गया था, में उक्त तिमाही के दौरान किए गए प्रत्येक विनिधान के संबंध में इलैक्ट्रानिकी रूप में जारी करेगा।
- (iv) निर्धारिती ऐसे विनिधानों के संबंध में, जो अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड) के अधीन छूट के लिए अर्हित हैं, के संबंध में आय और व्यय का खंडवार लेखा रखेगा।
- (v) निर्धारिती का नॉरवे सरकार द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः स्वामित्व में रहना और नियंत्रित किया जाना जारी रहेगा और निर्धारिती पर, किसी भी समय, किसी और व्यक्ति का, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः स्वामित्व या नियंत्रण नहीं होना चाहिए।
- (vi) निर्धारिती का नॉरवे सरकार की विधि के अधीन विनियमित होना जारी रहेगा।
- (vii) निर्धारिती के उपार्जनों का या तो नॉरवे सरकार के खाते में या उस सरकार द्वारा पदाभिहित किसी अन्य खाते में प्रत्यय किया जाएगा ताकि भारत में विनिधान करने से भिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए ऋण या उधार [जैसा कि अधिनियम की धारा 10 खंड (23चड) के स्पष्टीकरण-2 के खंड (ii) के उपखंड (क) में अभिप्रेत है] के लिए लेनदारों या जमाकर्ताओं को किसी संदाय के सिवाय उपार्जनों के किसी भाग को किसी प्राइवेट व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा।
- (viii) निर्धारिती के पास भारत में विनिधान करने के प्रयोजन के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई ऋण या उधार [[जैसा कि अधिनियम की धारा 10 खंड (23चड) के स्पष्टीकरण-2 के खंड (ii) के उपखंड (क) में अभिप्रेत है] नहीं होगा];
- (ix) निर्धारिती की आस्ति विघटन पर भारत में विनिधान करने से भिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए ऋण या उधार के लिए लेनदारों या जमाकर्ताओं को किसी संदाय को छोड़कर नॉरवे सरकार में निहित होगी; और
- (x) निर्धारिती विनिधान प्राप्तकर्ता [जैसा कि अधिनियम की धारा 10 खंड 23(चड) के स्पष्टीकरण-2 के खंड (i) में अभिप्रेत है] के दिन प्रतिदिन के प्रचालनों में भाग नहीं लेगा परंतु विनिधान प्राप्तकर्ता के साथ विनिधान की संरक्षा के लिए मॉनीटरी तंत्र को, जिसमें निदेशक या कार्यपालक निदेशकों को नियुक्त करना सम्मिलित है, विनिधान प्राप्तकर्ता के दिन प्रतिदिन के प्रचालनों में भाग लेना नहीं समझा जाएगा।
2. उक्त खंड (23चड) और इस अधिसूचना में यथा उपदर्शित किसी भी शर्त का उल्लंघन निर्धारिती को कर छूट से अयोग्य ठहराएगा।
3. यह अधिसूचना राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

उपाबंध

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23चड) के अधीन छूट का दावा करने वाली स्वयंभू धन निधि द्वारा फाइल की जाने वाली लेखापरीक्षा रिपोर्ट

भाग I

*मैं/हम रिपोर्ट करते हैं कि मैसर्स (निर्धारिती की स्थायी लेखा संख्या या आधार संख्या सहित नाम और पता), जिनकी विशिष्टियां भाग II में दी गई हैं, की कानूनी लेखापरीक्षा अधिसूचना सं. तारीख, जो राजपत्र में प्रकाशित की गई थी, की अपेक्षाओं के अनुसार, *मेरे/हमारे/मैसर्स द्वारा संचालित की गई थी।

7. *एसडब्ल्यूएफ ने आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23चड) के अधीन छूट के प्रयोजनों के लिए उस तारीख से तीन वर्ष की अवधि के अवसान से पूर्व जिसको उक्त छूट के संबंध में विनिधान किया गया है, किए गए किन्हीं विनिधानों का विक्रय नहीं किया है/ एसडब्ल्यूएफ ने आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23चड) के अधीन छूट के प्रयोजनों के लिए किए गए कतिपय विनिधानों का उस तारीख से तीन वर्ष की अवधि के अवसान से पूर्व जिसको उक्त छूट के संबंध में विनिधान किया गया है, किए गए किन्हीं विनिधानों का विक्रय किया है, जिसके ब्यौरे नीचे दिए अनुसार है :

सारणी

क्रम सं.	विनिधान की तारीख	विनिधान की प्रकृति (अनुदेश 4)	आय की प्रकृति (अनुदेश 5)	वर्ष के दौरान विनिधान पर आय की रकम	उस अस्तित्व के ब्यौरे जिसमें विनिधान किया गया है			विक्रय की तारीख
					अस्तित्व की प्रकृति (अनुदेश 7)	नाम	पैन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								
योग								

8. - एसडब्ल्यूएफ आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23चड) के अधीन छूट के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित सभी शर्तों को पूरा करता है, अर्थात्, -

(क)	क्या एसडब्ल्यूएफ प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः दूसरे देश की सरकार के पूर्ण स्वामित्व और नियंत्रण में है	हां/नहीं
(ख)	दूसरे देश की सरकार के नाम का वर्णन करें जिसके स्वामित्व और नियंत्रण में एसडब्ल्यूएफ प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः है	
(ग)	क्या एसडब्ल्यूएफ प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः दूसरे देश की सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में है	प्रत्यक्षतः / अप्रत्यक्षतः
(घ)	दूसरे देश की सरकार द्वारा अप्रत्यक्षतः एसडब्ल्यूएफ का स्वामित्व और नियंत्रण रखने की दशा में स्वामित्व की शृंखला के ब्यौरे	
(ङ)	उस विधि का नाम जिसके अधीन एसडब्ल्यूएफ की स्थापना की गई है और विनियमित किया जाता है	
(च)	क्या उक्त निधि से अर्जनों का प्रत्यय या तो उस दूसरे देश की सरकार के खाते में किया जाता है या उस सरकार द्वारा अभिहित किसी अन्य खाते में किया जाता है जिससे अर्जनों के किसी भाग से किसी प्राईवेट व्यक्ति को कोई फायदा न हों सिवाय भारत में विनिधान करने से भिन्न किन्हीं प्रयोजनों के लिए लेनदारों या जमाकर्ताओं द्वारा लिए गए ऋण या उधारों के किसी संदाय के लिए।	हां/नहीं
(छ)	क्या उक्त निधि की आस्ति उस दूसरे देश की सरकार में विघटन के उपरांत सिवाय भारत में विनिधान करने से भिन्न किन्हीं प्रयोजनों के लिए लेनदारों या जमाकर्ताओं द्वारा लिए गए ऋण या उधारों के किसी संदाय के लिए विहित हो जाएगी।	हां/नहीं
(ज)	यदि (च) या (छ) का उत्तर नहीं है तो निम्नलिखित ब्यौरे दें : i. प्राईवेट व्यक्ति का नाम ii. वर्ष के दौरान उपबंधित फायदे की रकम	
(झ)	क्या वह धारा 10 के खंड (23चड) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (i) में यथा परिभाषित किसी व्यक्ति जिसके लिए विनिधान किया गया है, के दिन प्रतिदिन के प्रचालनों में भाग लेता है, सिवाय वह व्यक्ति जिसके पास विनिधान किया गया है, विनिधान की संरक्षा करने के किसी तंत्र की मानीटरी करने के, जिसक अंतर्गत निदेशक या कार्यपालक निदेशक नियुक्त करने का अधिकार है	हां/नहीं
(ञ)	यदि (झ) का उत्तर हां है, तो निम्नलिखित ब्यौरे दें : i. जिसके पास विनिधान किया गया है, का नाम ii. जिसके पास विनिधान किया गया है, का पैन iii. जिसके पास विनिधान किया गया है, के पास वर्ष के अंत में विनिधान की रकम	
(ट)	क्या उसने उसके द्वारा भारत में किए गए विनिधान के ब्यौरों की परिपत्र सं. 15/2020 तारीख	हां/नहीं

	22.07.2020 द्वारा जारी प्ररूप सं. 2 में संसूचना की अपेक्षा की अनुपालना की है	
(ठ)	क्या उसके पास भारत में विनिधान करने के प्रयोजनों के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः धारा 10 के खंड (23चड) के स्पष्टीकरण 2 में यथापरिभाषित ऋण या उधार है	हां/नहीं
(ड)	यदि (ठ) का उत्तर हां में है, तो निम्नलिखित ब्यौरे दें: (i) उस व्यक्ति का नाम जिससे पैसा ऋण या उधार लिया गया है (ii) वर्ष के प्रारंभ में ऋण या उधार की रकम (iii) वर्ष के दौरान प्राप्त ऋण या उधार की रकम (iv) वर्ष के दौरान पुनः संदत्त ऋण या उधार की रकम (v) वर्ष के अंत में ऋण या उधार की रकम	
(ढ)	ऐसे विनिधान के संबंध में, जो अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड) के अधीन छूट के लिए अर्हित होता है, आय और विनिधान के लिए पृथक खंडवार लेखा रखा गया है।	हां/नहीं

स्थान :

तारीख :

** (हस्ताक्षर और हस्ताक्षरकर्ता की स्टेप/मुहर)

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

पूरा पता

सदस्यता सं.

यूडीआईएन.....

अनुदेश: 1. *जो लागू न हों, उसे काट दें।

2. यह रिपोर्ट किसी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 281 की उपधारा (2) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखापाल द्वारा दी जानी है।

3. "जिसके पास विनिधान किया गया है" का वहीं अर्थ होगा जो उसका आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23चड) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (i) हैं और "ऋण और उधार" का वहीं अर्थ होगा जो उसका आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23चड) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (ii) के उपखंड (क) में हैं।

4. निम्नलिखित में से किसी एक कूट का चयन किया जाना है :

विनिधान की प्रकृति	कूट
उधार	1
साम्य	2
अधिमानी शेयर	3
अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	4

5. निम्नलिखित में से किसी एक कूट का चयन किया जाना है :

आय की प्रकृति	कूट
ब्याज	1
लाभांश	2
पूंजी अभिलाभ	3
अन्य	4

6. निम्नलिखित में से किसी एक कूट का चयन किया जाना है :

अस्तित्व की प्रकृति जिसमें विनिधान किया जाता है	कूट
धारा 10 के खंड (23चड) के उपखंड (iii) की मद (क) में निर्दिष्ट कारबार न्यास	1

धारा 10 के खंड (23चड) के उपखंड (iii) की मद (ख) में निर्दिष्ट कंपनी या उपक्रम या अस्तित्व	2
धारा 10 के खंड (23चड) के उपखंड (iii) की मद (ग) में निर्दिष्ट वैकल्पिक विनिधान निधि	3
धारा 10 के खंड (23चड) के उपखंड (iii) की मद (घ) में निर्दिष्ट देसी कंपनी	4
धारा 10 के खंड (23चड) के उपखंड (iii) की मद (ङ) में निर्दिष्ट अवसंरचना वित्त कंपनी/ अवसंरचना ऋण निधि-एनवीएफसी	5

[अधिसूचना सं. 33/2021 /फा.सं. 370142/6/2021-टीपीएल]
विपुल अग्रवाल, निदेशक (कर नीति और विधान प्रभाग)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April 2021

(INCOME-TAX)

S.O. 1661(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (b) of the *Explanation 1* to clause (23FE) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the “Act”), the Central Government hereby specifies the sovereign wealth fund, namely, the Norfund, Government of Norway, (hereinafter referred to as “the assessee”) as the specified person for the purposes of the said clause in respect of the investment made by it in India on or after the date of publication of this notification in the Official Gazette but on or before the 31st day of March, 2024 (hereinafter referred to as “said investments”) subject to the fulfilment of the following conditions, namely:-

- (i) the assessee shall file return of income, for all the relevant previous years falling within the period beginning from the date in which the said investment has been made and ending on the date on which such investment is liquidated, on or before the due date specified for furnishing the return of income under sub-section (1) of section 139 of the Act;
- (ii) the assessee shall get its books of account audited for the previous years referred to in clause (i) by any accountant specified in the *Explanation* below sub-section (2) of section 288 of the Act and furnish the Audit Report in the format annexed as Annexure to this notification herewith at least one month prior to the due date specified for furnishing the return of income under sub-section (1) of section 139 of the Act;
- (iii) the assessee shall furnish a quarterly statement within one month from the end of each quarter electronically in Form II as annexed to the Circular No 15 of 2020, dated the 22nd July, 2020 with F. No. 370142/26/2020-TPL, issued by the Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Direct Taxes (Tax Policy and Legislation Division), in respect of each investment made by it during the said quarter;
- (iv) the assessee shall maintain a segmented account of income and expenditure in respect of such investment which qualifies for exemption under clause (23FE) of section 10 of the Act;
- (v) the assessee shall continue to be owned and controlled, directly or indirectly, by the Government of Norway and at no point of time any other person should have any ownership or control, directly or indirectly, in the assessee;
- (vi) the assessee shall continue to be regulated under the law of the Government of Norway;
- (vii) the earnings of the assessee shall be credited either to the account of the Government of Norway or to any other account designated by that Government so that no portion of the earnings inures to any private person barring any payment made to creditors or depositors for loan or borrowing [as defined in sub-clause (a) of clause (ii) of *Explanation 2* to clause (23FE) of section 10 of the Act] taken for the purposes other than for making investment in India;
- (viii) the assessee shall not have any loans or borrowings [as defined in sub-clause (a) of clause (ii) of *Explanation 2* to clause (23FE) of section 10 of the Act], directly or indirectly, for the purposes of making investment in India;
- (ix) the asset of the assessee shall vest in the Government of Norway upon dissolution barring any payment made to creditors or depositors for loan taken or borrowing for the purposes other than for making investment in India; and

									of section 10 (Attach calculation sheet as per relevant rules)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.										
2.										
Total										

7.*the SWF has not sold any of the investments made for the purposes of exemption under clause (23FE) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 before the expiry of three years from the date on which the investment was made in respect of the said exemption/the SWF has sold certain investments made for the purposes of exemption under clause (23FE) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 before the expiry of three years from the date on which the investment was made in respect of the said exemption, the details of which are as under:

Table

Sl. No.	Date of investment	Nature of investment (Instruction 4)	Nature of income (instruction 5)	Amount of income on investment during the year	Details of the entity in which Investment made			Date of sale
					Nature of entity (instruction 7)	Name	PAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								
Total								

8. The SWF satisfies all the conditions required for the purposes of exemption under clause (23FE) of section 10 of the Income-tax Act, 1961, that is, -

(a)	Whether the government of foreign country wholly owns and controls the SWF, directly or indirectly	Yes/No
(b)	Mention the name of the government of foreign country which owns and controls the SWF, directly or indirectly	
(c)	Whether the government of foreign country owns and controls the SWF, directly or indirectly	Directly/ Indirectly
(d)	In case if government of foreign country owns and controls the SWF, indirectly give details of the chain of ownership	
(e)	Name of the law under which the SWF is set up and regulated	
(f)	Whether the earnings of the said fund are credited either to the account of the Government of that foreign country or to any other account designated by that Government so that no portion of the earnings inures any benefit to any private person barring any payment made to creditors or depositors for loan taken or borrowing for the purposes other than for making investment in India.	Yes/No
(g)	Whether the asset of the said fund vests in the Government of such foreign country upon dissolution barring any payment made to creditors or depositors for loan taken or borrowing for the purposes other than for making investment in India.	Yes/No
(h)	If answer to (f) or (g) is No, then provide the following details: i. Name of such private person ii. Amount of benefit provided during the year	
(i)	Whether it participates in the day to day operations of any of the investee, as defined in clause (i) of <i>Explanation 2</i> to clause (23FE) of section 10, barring any monitoring mechanism to protect the investment with the investee including the right to appoint directors or executive director	Yes/No

(j)	If answer to (i) is yes, then provide the following details: i. Name of such investee ii. PAN of the investee iii. Amount of investment in such investee at the end of the year	
(k)	Whether it has complied with the requirement of intimation of the details of investment made by it in India in Form No II issued vide circular No 15/2020 dated 22.07.2020	Yes/No
(l)	Whether it has loans or borrowings, as defined in <i>Explanation 2</i> to clause (23FE) of section 10, directly or indirectly, for the purposes of making investment in India	Yes/No
(m)	If answer to (l) is yes, then provide the following details: (i) Name of the person from whom such loan or borrowing has been taken (ii) Amount of loan or borrowing at the beginning of the year (iii) Amount of loan or borrowing received during the year (iv) Amount of loan or borrowing repaid during the year (v) Amount of loan or borrowing at the end of the year	
(n)	Whether separate segmented account is maintained for income and investment in respect of investment which qualifies for exemption under clause (23FE) of section 10 of the Act	Yes/No

Place:

Date:

**(Signature and stamp/ Seal of the signatory)

Name of the signatory

Full address

Membership No.....

UDIN.....

Instructions: 1. *Delete whichever is not applicable.

2. This report is to be given by an accountant as defined in the *Explanation* below sub-section (2) of section 288 of the Income-tax Act, 1961.3. An “investee” shall have the same meaning as in clause (i) to *Explanation 2* to clause (23FE) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 and “Loan and borrowing” shall have the same meaning as in sub-clause (a) of clause (ii) of *Explanation 2* to clause (23FE) of section 10 of the Income-tax Act, 1961.”.

4. One of the following codes is to be selected:

Nature of Investment	Code
Debt	1
Equity	2
Preference Shares	3
Others (Please specify)	4

5. One of the following codes is to be selected:

Nature of Income	Code
Interest	1
Dividend	2
Capital Gains	3
Others	4

6. One of the following codes is to be selected:

Nature of entity in which investment is made	Code
Business Trust referred to in item (a) of sub-clause (iii) of clause (23FE) of section 10	1
Company or enterprise or entity referred to in item (b) of sub-clause (iii) of clause (23FE) of section 10	2
Alternative Investment Fund referred to in item (c) of sub-clause (iii) of clause (23FE) of section 10	3
Domestic company referred to in item (d) of sub-clause (iii) of clause (23FE) of section 10	4
Infrastructure Finance Company/Infrastructure Debt Fund-NBFC referred to in item (e) of sub-clause (iii) of clause (23FE) of section 10	5

[Notification No. 33/2021/ F. No. 370142/6/2021-TPL]

VIPUL AGARWAL, Director (Tax Policy and Legislation Division)